

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:—एफ—2()बजट / आंव. / ICDS / 17 / 36594-626 जयपुर, दिनांक: 28-2-18

उपनिदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)

विषय:— अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन हेतु बजट आवंटन वर्ष 2017-18

संदर्भ:— विभागीय पत्र क्रमांक 36221-253 दिनांक 28.02.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन हेतु प्रत्येक जिला कार्यालय को 1.00 लाख (0.60 लाख केन्द्रीय सहायता एवं 0.40 लाख राज्य निधि मद अंतर्गत) प्रति कार्यालय निम्न लेखाशीर्ष में बजट आवंटन किया जाता है:—

मांग संख्या—33

2236— पोषण

02— पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101— विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)— समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से

[13]— सशर्त मातृत्व लाभ योजना

12— सहायतार्थ अनुदान—गैर संवेतन (केन्द्रीय सहायता / राज्य निधि)

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग के द्वारा योजना / गतिविधि क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार, मैचिंग शेयर अनुपात में किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सहायक

क्रमांक:—एफ—2()बजट / आंव. / ICDS / 17 / 36627-28

जयपुर, दिनांक: 28-2-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. प्रभारी अधिकारी (पीएमएमवीवाई), मुख्यालय को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सहायक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:-एफ-2()बजट /आंव. / ICDS / 17 / 36287-590 जयपुर, दिनांक: 28-2-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं (समस्त)

विषय:- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत ब्लॉक स्तर पर योजना की प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए फलैक्सी फण्ड के तहत बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।

संदर्भ:- विभाग का पत्रांक 35877-36214 दि. 28.2.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत ब्लॉक स्तर पर योजना की प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए फलैक्सी फण्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रति परियोजना कार्यालय 0.20 लाख (0.12 लाख केन्द्रीय सहायता एवं 0.08 लाख राज्य निधि मद अंतर्गत) निम्न लेखा शीर्ष में बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33

2236- पोषण

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101- विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से

[13]- सशर्त मातृत्व लाभ योजना

12- सहायतार्थ अनुदान-गैर संवेतन (केन्द्रीय सहायता / राज्य निधि)

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग के द्वारा योजना / गतिविधि क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार मैचिंग शेयर अनुपात में किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट /आंव. / ICDS / 17 / 36591-92
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

जयपुर, दिनांक: 28 ²/₁₈

1. प्रभारी अधिकारी (पीएमएमवीवाई), मुख्यालय को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार